निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं,उ०प्र०, सर्वोदयनगर, कानपुर।

संख्या:टी-16/संविदा/2024/ 23096 दिनांक 04/10/2024

विज्ञप्ति

उ०प्र०शासन के श्रम अनुभाग-6 के शा०दे०संख्या-862/36-6-2017-5(171)/ 92 टी0सी0,दिनांक 29.06.2017, संख्या-1371/36-6-2017-4(मा0)/17, दिनांक27.11.2017 एवं 273/ 36-6-2023-5 (171) टी0सी,दिनांक27.3.2024 में प्रदत्त अनुमति के क्रम में क0रा0बी0 चिकित्सालयों में विशेषज्ञों के पदों पर 11 माह या नियमित तैनाती होने तक (जो भी पहले हो), संविदा पर निम्नवत विशेषज्ञों की तैनाती के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप पर 08.11.2024 तक सांय 5:00 बजे तक पंजीकृत/स्पीड पोस्ट/साधारण डाक के माध्यम से निदेशालय, क0रा0बी0योजना, श्रम चिकित्सा कानपुर में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है।

क0रा0बी0अस्पतालों में विशेषज्ञों की विशेज्ञतावार रिक्तयों का विवरण।

Sl. No.	ESIS Hospitals	Specialist								
		Physician	Surgeon	Anesthetist	Ortho. Surgeon	Radiologist	Chest Specialist	Paediatrician	Obs. & Gyen.	Pathologist
1	Pandunagar kanpur	1	1	0	0	1	0	0	1	0
2	Sarvodayanagar, Kanpur	1	1	1	0	0	0	1	1	0
3	Kidwainagar Kanpur	0	1	1	0	0	0	0	1	0
4	Azadnagar Kanpur	0	0	0	0	1	1	0	0	1
5	Naini, Prayagrag	1	1	0	1	0	0	0	0	0
6	Agra	1	1	1	1	0	0	0	0	0
7	Modinagar	1	0	0	1	0	0	1	1	0
8	Aligarh	1	1	1	1	0	0	0	0	0
9	Saharanpur	1	1	1	1	0	0	0	1	0
10	Pipri, Sonbhadra	1	1	1	0	0	0	1	1	0
	Total	8	8	6	5	2	1	3	6	1

रिक्तियों का आरक्षणवार विवरण

क्रमांक	पदनाम	कुल रिक्त पद	अनु0जाति	अनु0जन जाति	अ0पि0व0	ई0डब्लू0एस0	अनराक्षित
1	विशेषज्ञ	40	11	01	12	05	11

शैक्षिक अर्हता-

- भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एम0बी0बी0एस0 उपाधि अथवा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त पूर्व स्नातक चिकित्सा उपाधि और

- **भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से संबधित विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर डिग्री (तीन वर्ष) अथवा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, अधिनियम, 2019 के अधीन मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि अथवा इसके ममकक्ष उपाधि**

अथवा,

- **भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से संबधित विशेषज्ञता में स्नात्कोत्तर डिप्लोमा (दो वर्ष) अथवा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अधीन** मान्यता प्राप्त स्नात्कोत्तर चिकित्सा डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष अर्हता और इसके साथ संबधित चिकित्सा परिषद में डिप्लोमा के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् संबधित विशेषज्ञता में कम से कम एक वर्ष का अनुभव।

<u>आवेदन करने से पूर्व निम्न अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढना सुनिश्चित करे:-</u>

1. **चयनित अभ्यर्थी** को चिकित्सालय के नाम से नियुक्ति प्रदान की जाएगी और उन्हें तैनाती स्थान पर रहकर सेवा प्रदान करनी होगी। संविदा पर तैनात विशेषज्ञ का किसी भी दशा में उसके अनुरोध पर स्थानान्तरण नहीं किया जाएगा। संविदा की अवधि 11 माह होगी जिसे संतोषजनक सेवा होने पर एक बार में 11-11 माह के रूप में अधिकतम तीन बार बढाया जा सकता है।

2- तैनाती के समय स्थानीय अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

3- संविदा पर नियुक्त किए जाने वाली विशेषज्ञों को दी गई शैक्षिक अर्हता पूर्ण करना अनिवार्य होगा। नियुक्ति में विशेष अर्हताधारी विशेषज्ञ को वरीयता प्रदान की जाएगी।

4- संविदा नियुक्ति हेतु विशेषज्ञों की अधिकतम आयु सीमा नियुक्ति के वर्ष जनवरी के प्रथम दिन 64 वर्ष से अधिक न हो एवं उनका स्वास्थ्य उत्तम हो, सरकारी सेवा में काम करने का अनुभव प्राप्त विशेषज्ञों को चयन में वरीयता दी जाएगी।

5- संविदा पर कार्यरत विशेषज्ञों की सेवाएं संतोषजनक न पाए जाने पर अथवा पद पर नियमित नियुक्ति होने पर एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

6- संविदा पर नियुक्ति विशेषज्ञों को मासिक पारिश्रमिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0एम0) द्वारा समय-समय पर नियत दरों पर अनुमन्य होगा। उक्त विशेषज्ञों को प्रतिदिन तैनाती स्थल पर निर्धारित डियूटी सोमवार से शिनवार तक करनी होगी। किसी भी कार्यदिवस में अनुपस्थित रहने पर उस दिन का कोई भी भुगतान समानुपातिक अनुपात से देय नही होगा। आंशिक समय तक सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी का भुगतान समानुपातिक अनुपात से देय होगा।

7- संविदा पर नियुक्त विशेषज्ञ आपातकालीन सेवाएं भी प्रदान करेगें तथा अंत:रोगी विभाग में भर्ती रोगियों की देखभाल/इलाज के लिए उत्तरदायी होगें। विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी को आवश्यकता पडने पर आनकाल भी बुलाया जा सकता है।

8- चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति प्राधिकारी के साथ नान-ज्यूडिशियन स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर करार निष्पादित करेगा। करार के निष्पादन पर होने वाला व्यय चयनित अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी उसकी पद स्थापना के स्थान पर कार्यरत होने के तारीख से संविदा पर कार्यरत माना जाएगा। अभ्यर्थी को करार होने के 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उक्त अवधि में परिस्थिजन्य स्थिति के आधार पर कार्यभार ग्रहण अवधि विस्तारित कर सकते है। उक्त कालावधि में कार्यभार प्रारम्भ न करने की दशा में संविदा स्वत: रदद हो जाएगी।

9- संविदा विशेषज्ञ द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की सूचना संबधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से निदेशक, क0रा0बी0योजना, उ0प्र0 को भेजी जाएगी।

10- संबधित विशेषज्ञ का चरित्र सत्यापन स्थानीय स्तर पर कराया जाएगा तथा इस अनुवंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में अनुबंध प्राधिकारी द्वारा संविदा बिना कोई कारण बताए तुरन्त रद्द कर दी जाएगी।

11- प्रथम मास के लिए संविदा रकम प्राप्त करने से पूर्व संविदा पर नियुक्ति विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराएगा। इस चिकित्सकीय परीक्षण में उपयुक्त पाए जाने पर ही संविदा वैध होगी।

12- यदि संविदा विशेषज्ञ बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसे अनुपस्थित की तारीख से स्वत: समाप्त मानी जाएगी।

13- संविदा विशेषज्ञ को किसी भी पद की नियमित नियुक्ति का धारणाधिकार नही होगा और न ही शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदारी जताते हुए कोई दावा प्रस्तुत करेगा।

14- संविदा विशेषज्ञ, संविदा कालावधि के लिए किसी पेंशन संबधी सुविधाओं का हकदार नही होगा। उसे ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस आदि देय नही होगा।

15- संविदा नियुक्ति किसी एक पक्ष द्वारा किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह की संविदा रकम का भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।

16- मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता इत्यादि सुविधा अनुमन्य नही होगी।

17- अनुबंध की अवधि अधिकतम 11 माह या नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने जो भी पहले हो, तक के लिए होगी।

18- विभाग में नियुक्त चिकित्साधिकारियों की विशेषज्ञ के पद पर प्रोन्नति अथवा नियमित चयन होने के फलस्वरूप संविदा पर नियुक्त विशेषज्ञों की सेवाएं स्वत: समाप्त हो जाएगी।

19- किसी अभियोग में सजा पाए या अभियोग में पंजीकृत होने की दशा में अभ्यर्थी, आवेदन/नियुक्ति के हकदार नही होगे।

20- शासन के पत्र संख्या-1540/36-6-2017-4(सा0)/17, दिनांक 7.3.2018 में लिए गए निर्णय के अनुसार विभाग में संविदा पर तैनात विशेषज्ञों को तथा महिला विशेषज्ञों को आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश/राजपत्रित अवकाश सहित मातृत्व अवकाश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा निर्धारित नीति/निर्गत आदेश के अनुसार अनुमन्य होगें।

21- संविदा विशेषज्ञों पर राज्य सरकार के कर्मचारियों पर प्रभावी कन्डक्ट रूल्स प्रभावी होगे।

22- साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अभ्यर्थी को कोई टी0ए0/डी0ए0 देय नही होगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को अभिलेखों को मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

23- अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी सुविधानुसार आवेदन के निर्धारित प्रारूप में नियुक्ति हेतु इच्छित तीन स्थानों का विकल्प आवेदन पत्र में भरे।

24- आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण होने पर ही आवेदन करे, केवल अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही साक्षात्कार हेतु बुलाए जाएगे, आवेदन के साथ अभ्यर्थी को अनिवार्य अर्हता, अनुभव इत्यादि की स्व हस्ताक्षरित छायाप्रतियां, दो स्वयं के पते लिखे लिफाफे, जिसमें उचित मूल्य का डाक टिकट लगा हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

25- अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी स्थान विशेष एवं विशेषज्ञता विशेष को प्राथमिकता देते हुए उपलब्ध रिक्तियों के आधार परे किया जाएगा।

26- एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने पर अभ्यर्थी को अलग-2 आवेदन पत्र प्रेषित करना होगा।

27- नियुक्ति से संबधित सभी विधिक विवादों का निस्तारण कानपुर के जिला न्यायालय के ज्यूरिडिक्शन के अधीन होगा।

28- रिक्तयों का विशेषज्ञतावार/स्थानवार ब्यौरा,आयुसीमा, योग्यता एवं शर्ते-प्रतिबन्ध, आवेदन पत्र का प्रारूप URL:http://uplabour.gov.in/labour/ESIS या sewayojan.up.nic.in में दी गई है। आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञप्ति पोर्टल पर पढकर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करे।

(सुरेन्द्र प्रसाद सिंह)
निदेशक,

विशेषज्ञ पद पर संविदा हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

विज्ञप्ति संख्याः   दिनांकः

आवेदित पद (विशेषज्ञ) [ ]

विशेषज्ञता [ ]

तैनाती हेतु वरीयता कम में इच्छित तीन स्थानः [ ] [ ] [ ]

स्वप्रमाणित फोटो लगाएं

1. आवेदक का नामः डा0...

2. पिता/पति का नामः श्री...

3. जन्म तिथिः(आयु के प्रमाण हेतुः...
हायर सेकेन्डरी या हाई स्कूल प्रमाण
पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

4. आयु ....

5. वैवाहिक स्थिति ....

6. जेन्डर   पुरूष [ ]   स्त्री [ ]

7. स्थायी पताः ....
....
....
....

8. पत्र व्यवहार का पताः ....
....
....

9. श्रेणी/जाति

अनारक्षित [ ] ईडब्लूएस [ ] अ0पि0व0 [ ] अनु0जाति [ ] अनु0ज0जाति [ ]

(प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करे)

10. दिव्यांग श्रेणी होने पर
ओ0ए0 [ ] ओ0एल0 [ ] (प्रमाण पत्र संलग्न करे)

11. शैक्षिक योग्यताः— (प्रमाण पत्रों की प्रतियां संलग्न करें)

शैक्षिक अर्हता	मेडिकल कालेज का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत
एम.बी.बी.एस.						
स्नात्कोत्तर डिग्री / डिप्लोमा (विशेषज्ञता सहित)						

12. यदि किसी सरकारी सेवा में कार्य किया हो तो उस विभाग का नाम, अवधि विवरण ......
....

13. एन0सी0सी0 में 'बी' प्रमाण पत्र हो तो संलग्न करे तथा प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की सेवा हो तो अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करे।..

14. क्या कोई सी.बी.आई.जांच / सर्तकता जांच / ....
अनुशासनिक कार्यवाही / अपराधिक मामला
विचाराधीन तो नही है। (शपथ पत्र संलग्न करे)

15. पैन नम्बर..

16. आधार नम्बर...

17. राज्य चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रेशन संख्याः(प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)..................

18. अनुभवः(यदि कोई हो, समुचित प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां संलग्न करें) ....

19. मोबाईल ....19. ईमेल...

संलग्नकः....................................

मैं ....घोषणा करता / करती हूं कि मैने विज्ञापन की पात्रता एवं शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ लिया है जो मुझे स्वीकार है। मेरी जानकारी में मेरे द्वारा दी गयी सूचनाएं / अभिलेख सत्य है। मैने कोई भी तथ्य छिपाया नही है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य या अपूर्ण पाए जाने पर बिना मुझे सूचना के मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही होगी। मेरी नियुक्ति संविदा आधार पर की जाती है तो मुझे पद की नियमित नियुक्ति का धारणाधिकार नही होगा और मैं राज्य सरकार के अधीन शासकीय सेवा में विनयमितीकरण के लिए हकदारी जताते हुए कोई दावा प्रस्तुत नही करूंगा / करूंगी।

दिनांकः

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं नाम